प्र.स. 22/2019

विविध अनवान- राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट व अन्य

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23.1.2020 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा दायर प्र.पत्र बरबक्त तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का स्थानांतरण हो चुका है। पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 235 RTA का कोई औचित्य नहीं होने से सारहीन हो चुका है। प्रार्थी का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 235 विधि वर्तमान स्वरूप पर खारिज किया जाता है उक्त निर्णय की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official